धारा 70 : व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति

(1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को वह किसी जांच में साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसी कि किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन उपबंधित है।

[1][(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होन वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को *भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत ''न्यायिक कार्यवाहियां'' समझा जाएगा।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपनियम (1क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

* देखें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का कमांक 45) की धारा 229 एवं धारा 267 (प्रभावशील दिनांक 01.07.2024)।